न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री शिवप्रसाद एम.नकाते आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन पत्र संख्या 44/2011

प्रार्थी
राजस्थान राज्य जरिये
तहसीलदार,शिव

बनाम्

अप्रार्थी
1.गटिया वल्द मनु कौम
मुसलमान निवासी चक गूँगा
2.चेनाराम वल्द ताजाराम फौत के
कायम मुकाम–
2/1.श्रीमती वनूदेवी पत्नि चेनाराम
2/2.भागीरथ पुत्र चेनाराम
जाति जाट निवासी केकड़ तहसील
चौहटन हाल निवासी चक गूँगा
तहसील शिव
3.लालाराम वल्द ताजाराम
4.खरथाराम वल्द गुमनाराम
5.आईदानराम वल्द गुमनाराम
6.गंगाराम वल्द गुमनाराम
कौम जाट निवासीयान केकड़
तहसील चौहटन

राजस्व आवेदन पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व(कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन)नियम,1970

उपस्थितः–1. श्री सोहन दवे राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
2. श्री हुकमसिंह चौधरी 02 से 06 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 21.03.2018

1. संक्षेप में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी गटिया पुत्र मनु को अतिरिक्त कलक्टर,बाड़मेर ने मौजा चक गूँगा के खसरा नम्बर 59 रकबा 74 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सम्वत् 2034 में किया गया। प्रार्थी का यह कथन है कि अप्रार्थी के नोशनल शेयर में 30 बीघा 03 विस्वा भूमि हिस्से में आती थी। अप्रार्थी द्वारा छद्म रूप से भूमिहीन बनकर आवंटन कमेटी के समक्ष इन तथ्यो को छिपाकर, कपटपूर्ण तथा दुर्व्यशन द्वारा अपने नाम से आवंटन करवाया है। इसलिये अप्रार्थी के पक्ष में किये गये आवंटन को खारिज किया जाए। इस पर बाद सुनवाई प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 09.03.2011 को स्वीकार कर अप्रार्थी गटिया पुत्र मनु के पक्ष में सम्वत् 2034 में ग्राम चक गूँगा के खसरा नम्बर 59 रकबा 74.00 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया गया। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 02 से 06 ने न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एंव पदेन राजस्व अपील अधिकारी(बाड़मेर–जैसलमेर)मुख्यालय जोधपुर के न्यायालय में अपील संख्या 16/2011 पेश की। जो आदेश दिनांक 08.09.2011 को

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आंशिक रूप से स्वीकार कर निर्णय दिनांक 09.11.2011 को अपास्त कर, अप्रार्थी संख्या 02 से 06 को अपना पक्ष रखने का अवसर देते हुए मामला प्रति–प्रेषित किया गया।

2. इस पर हमने प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकील श्री जसवंतसिंह एंव 02 से 06 की ओर से श्री हुकमसिंह चौधरी उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के अधिवक्ता ने जवाब पेश कर आवेदन पत्र के पद संख्या 02 से 6 गलत होने से अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना खारिज करने का निवेदन किया।

3. हमने प्रार्थी की ओर से राजकीय अभिभाषक एंव अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के अधिवक्ता की बहस सुनी। अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के अधिवक्ता ने लिखित बहस भी पेश की। राजकीय अभिभाषक का यह तर्क है कि अप्रार्थी गटिया के खाते में मौजा चक गूँगा के खसरा नम्बर 59 में 74 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था। ग्राम चक गूँगा मे विप्रार्थी के पिता मनू के नाम कुल 120 बीघा 14 विस्वा भूमि मे नोशनल शेयर मे 30 बीघा 03 विस्वा भूमि हिस्सा में आने का प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी गटिया मुस्लिम विधि से शासित होने एंव मुस्लिम विधि से उक्त परिवार अथवा पैतृक सम्पति नाम की अचल सम्पति प्राप्त नहीं की जा सकती है। इसलिये इस प्रकरण का निस्तारण मुस्लिम विधि के अनुसार करने एंव अप्रार्थी गटिया का उसके पिता की भूमि में हक हिस्सा नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है। इसलिये इसे खारिज किया जाए।

4. अप्रार्थी संख्या 02 से 06 के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि इस प्रकरण में तहसीलदार शिव ने अप्रार्थी संख्या 01 गटिया के पिता मनु के भूमि में नोशनल शेयर में 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि बताकर आवंटन निरस्त करने का आवेदन पत्र पेश किया है,जो विधि विरूद्ध है क्योकि अप्रार्थी संख्या 01 गटिया पुत्र मनु जाति से मुसलमान होने की वजह से मुस्लिम विधि से प्रशासित होता है इसलिये अप्रार्थी संख्या 01 गटिया को पैतृक सम्पति में जन्म से कोई अधिकार पैदा नहीं होता है और न ही अपने पिता के जीवनकाल में उसकी जमीन में कोई अधिकार ही पैदा होता है और न ही पिता के जीवनकाल में उसकी जमीन में कोई नोशनल शेयर ही बनता है। मुस्लिम विधि के तहत गटिया को अपने पिता मनु के जीवन काल में कोई राईट हक पैदा नहीं होने की वजह से उक्त मुस्लिम विधि को ध्यान में रखते हुए गटिया को भूमिहीन की श्रेणी में आने से आवंटन कमेटी के सदस्य तहसीलदार शिव,सरपंच,प्रधान आदि थे, ने बाद जॉच भूमिहीन होने की वजह से आवंटन विधिवत रूप से किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 ने भूमि आवंटन में कोई तथ्य छिपाया नहीं हैं, और न ही कपटपूर्ण,दुव्यर्सन से आवंटन करवाया,बल्कि नियमानुसार भूमिहीन होने से आवंटन किया गया। आवंटन के बाद अप्रार्थी संख्या 01 का खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात उसके खातेदार अधिकारो को नियम 14(4) के तहत निरस्त नहीं किया जा सकता। अप्रार्थी संख्या 01 गटिया को खातेदार अधिकार मिलने के पश्चात् उसने जरिये रजिस्टर्ड इस भूमि का बेचान दिनांक 17.07.1991 को अप्रार्थी संख्या 02 से

जिला कलक्टर
बाड़मेर

06 को कर कब्जा सुपुर्द कर दिया गया था, तब से आज दिन तक अप्रार्थी संख्या 02 सये 06 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है। उन्होने तर्क दिया कि जिला बाड़मेर में तहसील सिवाना को छोड़कर शेष तहसीलो में एक बीघा का नाप 132X132 फीट गठरी जरीब से 01 बीघा में 17424 वर्ग फीट होते है इस कारण से 75 बीघा भूमि से अर्थ 117 बीघा 03 विस्वा भूमि विवादित एरिया ग्राम चक गूँगा में आवंटन की जा सकती है यदि 75 बीघा आवंटित भूमि और नोशनल शेयर में आई 30 बीघा भूमि भी मान लिया जावे तो भी दोनो को मिलाने पर कुल 105 बीघा भूमि होती है तब भी आवंटन नियमो का उल्लंघन नहीं होता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कानून किसी व्यक्ति के विरूद्ध 12 वर्षो से अधिक समय तक लगातार कब्जा रहने पर खातेदार के खातेदारी अधिकार समाप्त होकर कब्जाधारी में खातेदारी अधिकार निहित हो जाते है इसके अतिरिक्त सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का कब्जा 30 वर्षो से अधिक समय तक लगातार रहने से सरकार के अधिकार समाप्त होकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कब्जाधारी व्यक्ति में निहित हो जाते है। इसलिये हस्तगत प्रकरण में आवंटन 1977 में हुआ था तबकि वर्तमान आवंटन को 40 वर्ष हो चुके है इसलिये खातेदार के खातेदारी अधिकार आवंटन नियम 14(4) के तहत समाप्त नहीं किये जा सकते है। अप्रार्थी के अधिवक्ता ने 2016(2)आरआरटी 756 डीबी (एचसी)रामकरण बनाम राजस्थान राज्य, 1195 (2)डीएनजे (राज.)592डीबी (एचसी) पोलराम बनाम राजस्थान राज्य एंव अन्य,2017(1) आरआरटी 314 पदमाराम बनाम राजस्व मण्डल अजमेर,2007आरआरटी 1443 राजस्थान राज्य बनाम मनोहरलाल, 1999 डीएनजे(राज)604 छोटू खान व अन्य बनाम बरकत वगैरा एंव 2006–07पीआरटी 273–शंकरलाल बनाम देवीलाल में पारित न्याय दृष्टांत पेश करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमने दोनो पक्षों की बहस पर मनन किया। पत्रावली एंव उस पर उपलब्ध दस्तावेजात एंव प्रस्तुत न्याय दृष्टांत का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी गटिया पुत्र मनु को अतिरिक्त कलक्टर,बाड़मेर ने मौजा चक गूँगा के खसरा नम्बर 59 रकबा 74 बीघा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन सम्वत् 2034 में किया गया था। प्रार्थी का यह कथन है कि वक्त आवंटन अप्रार्थी के नोशनल शेयर में मौजा चक गूँगा में अप्रार्थी के पिता मनू नाम के खसरा नम्बर 52,53,57/1,58 रकबा 75 बीघा 07 विस्वा व खसरा नम्बर 145 रकबा 45 बीघा 07 कुल रकबा 120 बीघा 14 विस्वा में 30 बीघा 03 विस्वा भूमि हिस्सा में आती थी। अप्रार्थी गटिया के नाम के नोशनल शेयर के आधार होते हुए भी ग्राम चक गूँगा तहसील शिव में गलत रूप आवंटन कमेटी के समक्ष इन तथ्यो को छिपाकर, कपटपूर्ण तथा दुर्व्यशन द्वारा अपने नाम से आवंटन करवाया है। प्रार्थी द्वारा नियम 14(4)के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 गटिया पुत्र मनु मुसलमान है तथा मुस्लिम विधि के अधीन आते है। मुस्लिम विधि में पैतृक

जिला कलक्टर
बाड़मेर

सम्पति परसनल सम्पति होती है। तथा मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति जैसा कोई धारण नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 का सुसंगत प्रावधान निम्नानुसार है:–

Succession of tenants–When a tenant dies intestate, his interest in his holding shall devolve in accordance with the personal law to which he was subject at the time of his death.

मुस्लिम विधि के अनुसार किसी भी पुत्र अथवा पुत्री को अपने पिता के जीवनकाल में अपना हिस्सा प्राप्त करने व बंटवारा कराने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है,जिसमें माता पिता के जीवित रहते हुए उनकी संतान के कोई अधिकार पैदा नहीं होते तथा मुस्लिम विधि में नोशनल शेयर नहीं बनता है। मुस्लिम विधि के अधीन पुत्र जन्म के द्वारा पिता के जीवनकाल के दौरान पिता से संबंधित संपति में कोई हित अर्जित नहीं करता (Under the Muhammadan law, the sons do not, by birth, acquire, during the life–time of the father, any interest in the property belonging to the father.)प्रार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अप्रार्थी संख्या 01 के पिता मनु के नाम ग्राम चक गूँगा में जो भूमि बताई है उस भूमि में अप्रार्थी संख्या 01 के पिता की सम्पति में उनके जीवन काल में अप्रार्थी गटिया के कोई अधिकार पैदा नहीं होते है। यह सम्पति उसकी निजी कब्जे वाली है जिसमें उसके जीवन काल में अप्रार्थी गटिया का कोई हक हिस्सा नही बनता है। माता पिता की सम्पति में जब अधिकार ही पैदा नहीं होते है तो नोशनल शेयर की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 का कोई नोशनल शेयर नहीं बनता है। लिहाजा अप्रार्थी संख्या 01 गटिया पुत्र मनु जाति मुसलमान निवासी चक गूँगा मुस्लिम विधि से शासित होने से अप्रार्थी पर नोशनल शेयर के आधार पर ग्राम चक गूँगा तहसील शिव में इन तथ्यों को छिपाकर, कपटपूर्ण तथा दुर्व्यशन द्वारा अपने नाम से आवंटन करवाने का आरोप साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन एंव बलहीन होने से खारिज किया जाता है।

(शिवप्रसाद एस.नकाते)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलेक्टर
बाड़मेर